

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

॥ प्रथम दिल्ली विधान सभा ॥

चौथा प्रतिवेदन

॥ 19.12.1994 को प्रस्तुत ॥

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति को बुधवार, 14 दिसम्बर, 1994 को एक बैठक हुई ।

॥ 1 ॥ गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार के लिये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम को धारा 22३ के अन्तर्गत अपेक्षित उपराज्यपाल को सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये इस पर विचार के लिये समय का आबंटन नहीं किया जा सकता ।

समिति पांचवें सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये उनके सामने दर्शाये गये समय के नियतन को सिफारिश करता है :-

॥ 2 ॥ गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

1. श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा दिनांक 25.3.1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा :-

"यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिये रियायती दर पर भूमि प्रदान की जाए ।"

- 20 मिनट

2. श्री वाग्देव कप्तान :

"यह सदन केन्द्र सरकार से दिल्ली स्थित लोज होल्ड सम्पत्ति को उससे दस गुना अधिक प्रभार लेकर फ्री होल्ड सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित करने की सिफारिश करता है ।"

- 30 मिनट

3. श्री फतेह सिंह :

"यह सदन केन्द्र सरकार से 857 अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के लिये इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प को लागू करते हुये औपचारिक आदेश जारी करने की सिफारिश करता है ।"

- 30 मिनट

4. श्री बोधराज :

"यह सदन केन्द्र सरकार से दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अन्तर्गत बनाये गये भवन संबंधी उपनियमों बाईलॉज में सभी भवनों में तीसरा तल बनाने हेतु संशोधन करने की सिफारिश करता है ।"

- 30 मिनट

5. श्री जग प्रवेश चन्द्र :

"यह सदन दिल्ली दुग्ध योजना का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की सिफारिश करता है ।"

- 30 मिनट

दिल्ली,
14 दिसम्बर, 1994.

चरतो लाल गोयल
सभापति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

(1st Delhi Vidhan Sabha)

Fourth Report

(Presented on 19.12.94)

The Committee on Private Members' Bills and Resolutions held a sitting on Wednesday, the 14th December, 1994.

(I) PRIVATE MEMBERS' BILLS

The Committee decided that since no recommendation of the Lt. Governor, as required under section 22(3) of the GNCT Act, for consideration of the Private Members' Bills has been received so far, no time for consideration of the same could be allocated.

2. The Committee recommend the allocation of time to the following private members' business during the 5th Session of the Vidhan Sabha, as indicated against each :

II PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(1) Further discussion on the following Resolution moved by Shri Nand Kishore Garg on 25.3.94:-

"That this House recommends that land for schools and colleges be given at concessional rates by DDA".

20 mts.

(2) Shri Vasdev Kaptan

"This House recommends to the Central Government to convert the lease-hold properties into free hold, situated in Delhi by charging 10 times of the lease-fee."

30 mts.

(3) Sh. Fateh Singh

"This House recommends to the Central Government to issue formal orders for regularising the 857 unauthorised colonies by implementing the unanimous resolution of this House."

30 mts.

(4) Sh. Bodh Raj

"This House recommends to the Central Government to amend the building bye-laws framed under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 to permit the construction of third floor in all the buildings."

30 mts.

(5) Sh. Jag Parvesh Chandra

"This House recommends that the Government should take over the Delhi Milk Scheme."

30 mts.

CHARTI LAL GOEL
CHAIRMAN

Delhi
14th December, 1994.